



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास में अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-317/2018 धारा-307,504 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामदास पुत्र स्व0 दुर्जन निवासी ग्राम टिकरौली थाना कोतवाली नगर हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी
विशम्भर पाल



विवेचक-
उ0नि0 रावेन्द्र
कुमार



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का0 बिजमान